

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।

विषय:— राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा किमी० सं०-49.155 से किमी० सं०-74.700 तक (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) पर हाइब्रिड वार्षिक मोड पर क्रॉस कर रहे एन०एच०-731ए, जिला-कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित 4-लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।

सन्दर्भ:— कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी का पत्रांक सं०-1394/5-8 मंझनपुर, दिनांक 17.01.2023।

क्रम सं०	आपत्ति	उत्तर
1	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश प्रस्ताव में- संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं० 1 के अनुसार परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
2	पवर ऑफ एटार्नी/आथारिटी पत्र प्रस्ताव में- संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं० 2 के अनुसार पवर ऑफ एटार्नी/आथारिटी पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
3	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैन्ड क्रास सेक्शन (Linear Plan) जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो- संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं० 3 के अनुसार लीनियर प्लान जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाते हुए प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
4	रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने वचनबद्धता प्रमाण पत्र-संलग्न नहीं है।	आपत्ति सं० 4 के अनुसार रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
5	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में सीए स्थल को PF दर्शाया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही स्थिति फीड करें।	आपत्ति सं० 5 के अनुसार ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में सीए स्थल को RF कर संशोधन कर दिया गया है।
6	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	आपत्ति सं० 6 के अनुसार उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गई है।


(Parveen Kumar)
Executive Engineer
N.H. Division, P.W.D.,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ०प्र०
लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज